न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः 07/2023

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थीगण**
1– सुमित्रा देवी पत्नी स्व. गणपत सिंह निवासी 9/732, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जिला जोधपुर		1–अमित पुत्र स्व. गणपत सिंह 2–रचना पत्नी अमित निवासीगण 9/732, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 15, राजस्थान सरकार माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण नियम 2010 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.04.2023 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (दक्षिण) द्वारा प्रकरण संख्या 101/2022 सुमित्रा बनाम अमित व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1–अपीलार्थी उपस्थित।
2–प्रत्यर्थीपक्ष उपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (दक्षिण) के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 (1) (क)(ख), नियम 4 (1)(3) राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 बाबत अपीलार्थी की आवासीय जायदाद मकान नम्बर 9/732, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर से अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से खाली कराने व प्रार्थीपक्ष को कब्जा दिलाने का प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) जोधपुर (दक्षिण) द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.04.2023 को पारित किया गया, जिसमें अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 2 के विरूद्ध बेदखली को न्यायोचित नही बताया जाकर अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थी[illegible]र्थी/अपीलार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा व गाली गलौच न करने व [illegible] किसी भी प्रकार से बाधा नही उत्पन्न करने हेतु आदेशित किया [illegible] से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:59 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

अपील दर्ज (07/2023) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थी संख्या 2 का नोटिस बाद तामील प्राप्त हुआ तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट संख्या 2 दिनांक 27.03.2024 को उपस्थित हुए तथा दोनो पक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पो. संख्या 1 पुत्र व रेस्पो. संख्या 2 पुत्रवधु है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (दक्षिण)) के समक्ष राजस्थान सरकार माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण नियम 2010 के तहत उसकी आवासीय जायदाद मकान नम्बर 9/732, कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर से प्रत्यर्थीगण/अप्रार्थीगण से खाली कराने व उसका कब्जा अपीलार्थी को सुपुर्द करने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा कि अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा व गाली गलौच न करने व अपीलार्थी के रहवास में किसी भी प्रकार से बाधा नही उत्पन्न करने हेतु आदेशित किया गया, जिसकी पालना रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा नही की जा रही है अतः अपील स्वीकर करते हुए अपीलार्थी की आवासीय जायदाद को अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से मुक्त करवाने का आदेश प्रदान किया जाय।

तत्पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पो. संख्या 1 रेस्पो. संख्या 2 का पति है, रेस्पो. संख्या 2 अपने दो पुत्र के साथ अपीलार्थी के मकान की प्रथम मंजिल निवास कर रही है तथा अपीलार्थी ने अपने पुत्र रेस्पो. संख्या 1 के साथ मिलीभगत कर रेस्पो. संख्या 2 एवं उनके दो नाबालिग पुत्रों को घर से बेदखल करने के लिए अपील की है। बहस में यह भी कहा कि रेस्पो. संख्या 2 व उसके दोनो बच्चों के पास रहने के लिए कोई अन्यत्र स्थान नही है व रेस्पो. संख्या 1 रेस्पो. संख्या 2 व उसके दोनो बच्चों को छोड़कर जयपुर निवास करता है साथ ही रेस्पो. संख्या 2 व उनके दोनो नाबालिग बच्चों का भरण पोषण की जिम्मेदारी वहन नही करता है, रेस्पो. संख्या 2 अपना व अपने बच्चों का भरण पोषण करती है अतः अपील खारिज करते हुए रेस्पो. संख्या 2 व उसके नाबालिग बच्चों को घर से बेदखल नही किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया व अपीलार्थी, रेस्पो. संख्या 1 व रेस्पो. संख्या 2 द्वारा समय समय पर प्रस्तुत लिखित बहस का भी अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में [illegible] आवासीय जायदाद को अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष से मुक्त कराने/खाली करा[illegible]ना की गई। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2[illegible] की धारा 23 (1) में स्पष्ट किया कि, जहां कोई भी वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात उपहार के जरिये या अन्यथा अपनी सम्पति किसी ऐसी [illegible] के अनुसार अंतरित की हो कि अन्तरणी अन्तरक को मूल सुख–सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:59 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

असफल होता है या मना कर देता है, तो सम्पति का उक्त अंतरण कपट या छल द्वारा या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया हुआ माना जावेगा और अन्तरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा व्यर्थ घोषित किया जायेगा।" इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Civil Writ Petition No. 1936/2022 Vinod Sharma Versus Smt. Shanti Devi and Others निर्णय दिनांक 21.02.2022 में बिन्दु संख्या 64 में "To conclude while observing that the Act of 2007 does not envisage an order of eviction even by the District Magistrate, much less the Tribunal, this court unhesitantly holds that order of ouster of the petitioner oppugned in the instant writ petition is dehors the provisions of the Act of 2007: beyond the scope of Rules of 2010 and also out of the powers of the Tribunal." में उल्लेखित किया गया।

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 व राजस्थान सरकार माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है। अतः अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही होने से व उक्त वर्णित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष को बेदखली करने का आदेश नही दिया, वो आदेश हस्तक्षेप योग्य नही होने से अपील निरस्त की जाती है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष को अपीलार्थी/प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा व गाली गलौच नही करने व अपीलार्थी के रहवास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने आदेशित किया गया। अतः अधीनस्थ अधिकरण को यह आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 2 को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा जारी उक्त आदेश की सख्ती से पालना हेतु पाबंद करे ताकि अपीलार्थी के रहवास में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही होवे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:59 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 27.03.2024 को सुनाया व हस्ताक्षर किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर (राज.)